"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2012

अधिसूचना

फा. क्र. 5643/2072/21-ब/छ.ग./12.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 253/3351/21-ब/छ.ग./2006 दि. 5-1-2007 (जो जशपुर जिले की क्षेत्राधिकारिता के संबंध में अधिसूचना क्रमांक 350/डी-885/21-ब/छ.ग./2001 दि. 20-5-2011 के द्वारा संशोधित की गई थी) को अतिष्ठित करते हुए निम्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये विशेष न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार तत्स्थानी प्रविष्टि कालम (3) में दर्शित है, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश को विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है —

संशोधन

स. क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	न्यायालय का क्षेत्राधिकार (3)	पीठासीन अधिकारी (4)
6	कबीरधाम कवर्धा	कबीरधाम राजस्व जिला	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
15	जशपुर	जशपुर राजस्व जिला	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

Raipur, the 6th July 2012

NOTIFICATION

F. No. 5643/2072/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, and in supersession of this department's previous notification No. 253/3351/XXI-B/C.G./06, dated 05-01-2007, (as amended vide notification No. 3510/D-885/XXI-B/C.G./2011, dated 20-05-2011 relating to the Jurisdiction of Jashpur District) hereby, in relation to Special Court specified in column No. (2) of the Schedule below whose jurisdiction is shown in the corresponding entries in column No. (3) thereof, appoints the Judge specified in column No. (4) as Presiding Officer of the Special Court :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
6	Kabeerdham Kawardha	Kabeerdham Revenue District	Additional Sessions Judge
15	Jashpur	Jashpur Revenue District	Additional Sessions Judge

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.